रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3(iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 1984/ज्येष्ठ 30, 1906
No. 17] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 1984/JYAISTHA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

आदेश

बम्बई, 1 जून, 1984

आ. अ. 35(अ) :—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 13 की उप धारा (2) के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 17 अगस्त, 1978 के आदेश सं. ईसी.सीओ.पी एण्ड सी-4/104-78 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा (1) मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,

(2) अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, (3) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, (4) उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और (5) नियंत्रक, आयात-निर्यात को आयात और निर्यात नीति, 1984-85 (खण्ड 1) के परिशिष्ट 22 के अनुबंध 3 में भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित स्वर्ण आभूषण निर्यात संवर्धन तथा आपूरण योजना के अनुसार उक्त उप-धारा के अंतर्गत स्वर्ण निर्मित आभूषण एवं वस्तुएं भारत से बाहर भेजने (अर्थात् निर्यात करने) के लिए निर्यात लाइसेंस प्रदान करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

[सं. ईसी.सीओएक्स. 1793/23/83/84]

ति. ना. अनन्तराम अय्यर, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Exchange Control Department

Central Office

ORDER

Bombay, the 1st June, 1984

O. N. 35(E):—In pursuance of sub-section (2) of section 13 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in supersession of the Reserve Bank of India Order No. EC. CO. P&C 4|104-78 dated August 17, 1978, the Reserve Bank hereby authorises (1) Chief Controller of Imports & Exports (2) Additional Chief Controller of Imports & Exports, (3) Joint Chief Controller of Imports & Exports, (4) Deputy Chief Controller of Imports & Exports and (5) Controller of Imports & Exports to grant export licences under that Sub-section to send out of India (i.e. to export) Jewellery and articles made out of gold in accordance with the Gold Jewellery Export Promotion and Replenishment Scheme notified by the Government of India, Ministry of Commerce in Annexure III to Appendix 22 of Imports & Export Poliey, 1984-85 (Vol. I).

[No. EC. COX. 1793|23|83|84]

T. N. ANANTHARAM IYER, Executive Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984